ई–बिड पत्रांकः–3 / 638 / 2018–3 / 08 / 2017,

लखनऊ:: दिनांक 01 नवम्बर, 2018

ई–टेण्डर वेबसाईट– https://etender.up.nic.in

तालिका

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	ई–निविदा प्रकाशन की तिथि	02–11–2018	10:00 AM
2.	ई–निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	02–11–2018	11:00 AM
3.	ई–निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	19–11–2018	03:30 PM
4.	तकनीकी ई–निविदा खुलने की तिथि	19–11–2018	04:00 PM
5.	वित्तीय ई–निविदा खुलने की तिथि	बाद में सूचित किया जाना है।	

नोटः–

ई–निविदा खुलने का स्थानः– कक्ष संख्या–204, ई–6, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ–226024 ।

निविदा प्रपत्र

निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः—

1. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, ('प्रिट') लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ में आवासीय प्रशिक्षणों में कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु यह निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदाता द्वारा निविदा प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ई—टेण्डरिंग पद्धति का उपयोग करते हुए निविदा एवं बी0ओ0क्यू0 वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।
3. निविदा 'प्रिट' के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी तथा आपसी सामंजस्य तथा कार्यो के संतोषपूर्ण सम्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष हेतु इन्ही शर्तो एवं दरों पर नवीनीकृत की जा सकेगी। कार्यों के संतोषजनक सम्पादन न होने की स्थिति में एग्रीमेन्ट एक वर्ष पूर्व भी निविदा समाप्त की जा सकेगी ।
4. निविदा हेतु इच्छुक संस्थाओं द्वारा ई—टेंडरिंग के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
5. निविदा प्रपत्र में सम्मिलित सभी पृष्ठों पर संस्था के मालिक या उनके द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। हस्ताक्षर कर्ता यदि अधिकृत है तो अधिकार पत्र की प्रति निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जाय।
6. निविदा दाता को धरोहर राशि के रूप में रू0 1,00,000/— आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से केनरा बैंक, अलीगंज, लखनऊ के खाता संख्याः—4962132000008 आई0एफ0एस0सी0 कोड—CNRB0004962 में जमा करनी होगी। असफल निविदादाताओं द्वारा जमा धरोहर राशि निविदा खुलने के दिनांक के पश्चात वापस प्राप्त की जा सकेगी।
7. अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदाकर्ता द्वारा परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में रु0 7,00,000/— की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ''पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)'' के नाम से लखनऊ में देय बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ''परफार्मेन्स गारण्टी'' के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि में सम्मिलित होगी। यदि सफल निविदाकर्ता कार्यादेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस की समय—सीमा में परफार्मेन्स गारण्टी एवं धरोहर राशि के अन्तर की धनराशि विभाग में जमा नही करता है या निर्गत कार्यादेश व अनुबंध में वर्णित समय—सीमा एवं शर्तों के अनुरुप कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो संस्था की धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी, यदि विभाग द्वारा राशि जमा करने की समय—सीमा में कोई छूट प्रदान करने की स्वीकृति

नहीं दी गई है। तय समय सीमा के अन्तर्गत उक्तानुसार न्यूनतम निविदादाता संस्था द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को कार्य आबंटित करने हेतु 'प्रिट' स्वतंत्र होगा।

10. निविदा, टेंडर खुलने की दिनांक से 90 दिनों हेतु मान्य होगी।
11. यदि दो या अधिक संस्थाओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो निगोसियेशन अथवा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था के कार्य अनुभव, टर्नओवर व पूर्व में किये गये समान प्रकृति के कार्यों के सफल निष्पादन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
12. संस्था द्वारा दिये गये रेट/दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं राज्य सरकार के वैधानिक दायित्वों (टैक्स) को सम्मिलित किया जायेगा। संस्था द्वारा इनकम टैक्स, ई.पी.एफ. योगदान, ई.एस.आई. योगदान, बोनस इंश्योरेंश, श्रमिको के वेतन आदि समेकित करते हुए सम्मिलित दरें प्रस्तुत की जायेगी। संस्था द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक जिम्मेदारिया संस्था द्वारा वहन की जायेगी, विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
13. भोजन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले ईधन, भोजन निर्माण एवं सर्विगं में प्रयुक्त होने वाले बर्तन एवं कटलरी आदि की व्यवस्था सम्बन्धित संस्था द्वारा की जायेगी।
14. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, 'प्रिट' के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में हस्तांतरणीय नहीं होगा।
16. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न बी0ओ0क्यू0 में उल्लिखित सर्वाधिक कम दरों के अनुसार संस्था का चयन किया जायेगा।
17. केवल तकनीकी रूप से अर्ह संस्थाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
18. किसी वाद की स्थिति में लखनऊ न्यायालय का कार्य क्षेत्र मान्य होगा।
19. संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान में से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
20. निविदादाता द्वारा दी गयी जानकारियों के सत्य के होने के संबंध मे रु0 50 के स्टाम्प पेपर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा

(आकाश दीप)
निदेशक/उपाध्यक्ष,
'प्रिट'

निविदा हेतु पात्रता मापदंडः—

1. खाद्य विभाग में कैटरिंग का रजिस्ट्रेशन (प्रतिलिपि संलग्न करे)।
2. संस्था का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन (प्रतिलिपि संलग्न करे)।
3. संस्था के पास पिछले तीन वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 लाख रूपया प्रतिवर्ष के कैटरिंग सेवाओं के लिए वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए।
4. संस्था के पास लेबर लाइसेंस होना अनिवार्य है, कृपया प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. संस्था द्वारा 'प्रिट' में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, योग्यता एवं अनुभव के सम्बन्ध में लिखित विवरण उपलब्ध कराया जाए।
6. संस्था द्वारा वैध ई0पी0एफ0 न0/ई0एस0 आई0/ग्रेच्युटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।
7. अगर संस्था मिनिमम वेजेज एक्ट, यू0पी0 के अनुसार शासित है, तो विवरण उपलब्ध कराया जाए।
8. संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो में जमा किये गये आय कर के रिटर्न तथा पैन नं0 की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए।
9. संस्था की विगत तीन वर्षो की चार्टेड एकाउन्टेन्ट से ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध करायी जाए।
10. संस्था द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष में पूर्ण किये गये कैटरिंग कार्यो के साक्ष्य संलग्न किये जाए।
11. संस्था इस तथ्य का शपथ पत्र संलग्न करे की संस्था/संचालक/साझीदार के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है तथा यदि पूर्व में किसी प्रकार की सजा या विधिक कार्यवाही, संस्था/संचालक/साझीदार के विरुद्ध हुई है तो उसका विवरण दें।

तकनीकी परीक्षण मापदंडः—

क्र.सं.	मापदंड	अधिकतम अंक	दस्तावेज
1.	संस्था के पास कैटरिंग में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।	• तीन वर्ष के अनुभव =15 अंक • पांच वर्ष तक =20 अंक • पांच वर्ष से अधिक =25 अंक	कार्यादेश तथा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
2.	संस्था के पास पिछले तीन वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 लाख रूपया प्रतिवर्ष के कैटरिंग सेवाओं के लिए वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए।	• 50 लाख तक = 15 अंक • 50 लाख से 1.00 करोड़ तक = 15 अंक। • 1.00 करोड़ से अधिक = 20 अंक	चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्ष प्रमाण—पत्र।
3.	बीकानेर, रिट्ज, हल्दीराम, सागर रत्ना, रायल कैफे इत्यादि जैसे स्थापित ब्रांड की सामग्री वितरित की जाएगी।	• स्थापित ब्रांड/अन्य ब्रांड = 10 अंक	स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव।
4.	निविदादाता के Main Chef के साथ साक्षात्कार।	• 20 अंक।	निविदा समिति द्वारा साक्षात्कार।
5.	निविदा समिति द्वारा रसोई का सर्वेक्षण।	• 20 अंक।	निविदा समिति द्वारा सर्वेक्षण।

निविदा समिति द्वाराः—

- ई—निविदा का मूल्यांकन निविदा समिति द्वारा किया जाएगा। जिसे पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा गठित किया गया है। निविदा समिति दो चरणों में तकनीकी और वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन करेगा।
- आर.एफ.पी. में उल्लिखित तकनीकी मापदंडो का 60 प्रतिशत अनुपालन तकनीकी रूप से योग्य निविदादाता के रूप मे माना जाएगा।